App-A
Crim-1

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) सिरोही मुकाम

प्राणशंकर ब्राह्मण वगैरा
बिण्यादीव

बनाम सुनील कुमार ब्राह्मण
बिण्यादीव वगैरा

किस्म मुकदमा ईजरायत

ईजरायत सं. 4/2012

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11-9-19	पत्रावली पेश हुई। ईजरायदार वकील श्री सम्पत कुमार उपस्थित हुये। पैरोकार सरकार का पद रिक्त होने से कोई हाजिर नहीं है। भू-प्रबन्धक बाड़ीव तथा तहसीलदार सिरोही ने बाड़ीव तथा तहसीलदार सिरोही ने पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/2533 दिनांक 9-8-2019 द्वारा ईजरायत की पालना करने हेतु जांच रिपोर्ट पेश की है जिसे इस रिकार्ड पर लिया गया। हमने ईजरायत पत्रावली के संलग्न ACEM कोर्ट सिरोही द्वारा राजस्व वाद सं. 200/1993 अन्तर्गत 88 R.T Act शीर्षक प्राणशंकर वगैरा बनाम बिण्यादीव वगैरा में पूर्ण में पारित डिक्री दिनांक 29-4-1994 अवलोकन की गयी है के साथ-साथ तहसीलदार सिरोही की जांच रिपोर्ट व संलग्न राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी श्री वर्ष 2070-2073 के अनुसार खा.नं. 151 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि विवाद में है किन्तु राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी में तहसीलदार सिरोही ने दरामद नियमानुसार नहीं की है। दिनांक 5/1 पुत्र श्री लेख व विजय ने अ.50/1 शपथपत्र पेश कर खा.नं. 151 को छोड़ते हुये शेष खा.नं. की भूमि अनन्य नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अतः तहसीलदार सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार खा.नं. 151 रकबा 0.05 हैक्टेयर	

भूमि को छोड़ते हुये शेष बचा
नंबर की भूमि का आवंटन दि.
29-4-1994 अनुसार पालना कर
राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने
का आदेश तहसीलदार सिरोही को दिया
जाता है तथा बुलन्द आदेश अलग से
दीपचन्द्र नाथ आदेश की प्रतियुत
रायल्टी 2 रु. की गई आदेश
स्टे इंडाक्स लगाया। अपील फैसला
शुमार होकर नंबर से अमल हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)